

मूल वाद में अग्रिम शिर्की
समूकद में ईवादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्यापक्रिया सांहित्य
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 372/2021

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

तरसेम सिंह पि.मु.गुरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।

बनाम

1. सुखदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह
 2. हरदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह
 3. गुरसेवक सिंह पुत्र हरिसिंह
 4. जसवीर सिंह पुत्र हरिसिंह
 5. परमजीत कौर पत्नी मुखपाल जाति कुम्हार साकिन ढाणी बख्तावर सिंह वाली तह.संगरिया।
 6. महेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह जाति जटसिख साकिन पदमपुरा लीलावाली तहसील. संगरिया।
 7. गुरचरण सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन पदमपुरा लीलावाली तहसील संगरिया।
 8. धन्ना सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया।
 9. जसवन्त सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख साकिन ढाणी बख्तावरसिंह वाली तह.संगरिया।
 10. सुखपाल सिंह पुत्र मिटूसिंह उर्फ विचित्र सिंह जाति जटसिख सा. चक 3 डीएलपी नाथवाना तह.संगरिया।
- भारतीय स्टेट बैंक शाखा लीलावाली।
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 9.12.2021

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री.....वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 1 डीएलपी

1. तरसेम सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख सा.ढाणी बख्तावरसिंहवाली की कब्जा काशत:-


प.न.	मु.न.	किला नम्बर
154/192	49	4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. गै.मु.रास्ता, 7,14,17,24/0.253 है.प्र.
154/193	60	4,7/0.253 है.प्र. 14/0.190 है.कुल 1.961 है. नहरी

2. गुरसेवक सिंह पुत्र हरीसिंह 0.390 हि जसवन्त सिंह पुत्र गुरबचन सिंह 0.215 हि जसवीर सिंह पुत्र हरीसिंह 0.325 हि. धन्नासिंह पुत्र गुरबचनसिंह 0.215 हि परमजीतकौर पत्नी सुखपाल सिंह 0.253 हि महेन्द्र सिंह पुत्र हरनेक सिंह 1.418 हि सुखदेव सिंह पुत्र बलवीर सिंह 0.323 हि सुखपाल सिंह पुत्र मिटूसिंह उर्फ विचित्रसिंह 0.562 हि हरदेवसिंह पुत्र बलवीर सिंह 0.322 हि जाति जटसिख सा.ढाणी बख्तावरसिंहवाली की कब्जा काशत :-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
153/191	36	16/1/0.228 है. 16/2/0.025 है.
154/191	37	4/1/0.063, 7,14/0.253, 16/1/0.151, 17/0.253, 23/1/0.126, 25/0.253
154/192	49	2/3/0.023, 2/4/0.002, 3/1/0.228, 3/2/0.025, 5/1/0.167, 5/3/0.025 गै.मु.रास्ता 5/4/0.006, 6,8,13,15,16,18,23/0.253 है.प. 25/1/0.051
155/191	38	20/1/0.063, 21/0.063

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है
भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो
तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश दिया
जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3320 दिनांक 02.09.2024 द्वारा प्राप्त
प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्रश्नगत भूमि
रहन मुफ्त होने के पश्चात ही नामान्तरण दर्ज किया जावे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों
का अमल दरामद कर दिया जावे।
मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 9.12.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया
गया।


(जय कौशिक)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड प्रभारी संगरिया
संगरिया